



HAMIRPUR POLICE



थाना जरिया

दिनांक 29.05.2022

अवैध असलहा फैक्ट्री का खुलासा, 13 अवैध असलहा, 18 जिंदा/खोखा कारतूस एवं भारी मात्रा में असलहा बनाने के उपकरण सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक हमीरपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान आदेश एवं "ऑपरेशन पाताल" के अंतर्गत दिनांक 29.05.2022 को थाना जरिया पुलिस टीम द्वारा ग्राम कछवाकला के बाहर नरसिंह भगवान मंदिर के आगे बाग में 02 अभियुक्तों 1) सत्येन्द्र राजपूत पुत्र प्रजापत निवासी ग्राम अतरौली थाना जरिया जनपद हमीरपुर 2) सत्येन्द्र पुत्र संतोष राजपूत निवासी ग्राम परछा थाना जरिया जनपद हमीरपुर को अवैध रूप से शस्त्र निर्माण करते हुये गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से कुल 13 अवैध असलहा, 17 जिंदा/खोखा कारतूस एवं भारी मात्रा में असलहा बनाने के उपकरण बरामद हुये। जिसके सम्बन्ध में थाना जरिया में मु0अ0सं0-168/22, धारा-5/25 आयुध अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किया गया। दोनों अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है। अभियुक्त सत्येन्द्र राजपूत पुत्र प्रजापत जनपद के डी-18 गैंग का सदस्य है, एवं थाना हाजा का हिस्ट्रीशीटर व टॉप-10 अपराधी है। पूर्व में भी अभियुक्त तमंचा बनाने की फैक्ट्री में जेल जा चुका है। अभियुक्त सत्येन्द्र पुत्र संतोष के विरुद्ध जनपद व अन्य जनपद में कई मुकदमे दर्ज है। गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

आपराधिक इतिहास सत्येन्द्र राजपूत पुत्र प्रताप उर्फ प्रजापत

- 1) मु0अ0सं0-68/17, धारा-457/380/411 आईपीसी थाना जरिया
- 2) मु0अ0सं0-151/17, धारा-41/102 सीआरपीसी व 411 आईपीसी थाना जरिया
- 3) मु0असं0-265/18, धारा-147/148/452//323/504/506 आईपीसी व 3(1)द एससी/एसटी एक्ट थाना जरिया
- 4) मु0अ0सं0-62/19, धारा-2/3 उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट थाना जरिया
- 5) मु0अ0सं0-187/20, धारा-3/25 आयुध अधिनियम थाना जरिया
- 6) मु0अ0सं0-05/21, धारा-5/25 आयुध अधिनियम थाना जरिया
- 7) मु0अ0सं0-38/21, धारा-286 आईपीसी थाना जरिया
- 8) मु0असं0-62/21, धारा-3/25 आयुध अधिनियम थाना जरिया
- 9) मु0अ0सं0-187/21, धारा-3/25 आयुध अधिनियम थाना जरिया
- 10) मु0अ0सं0-221/21, धारा-10 यू0पी0 गुण्डागर्दी नियंत्रण अधिनियमस थाना जरिया
- 11) मु0अ0सं0-222/21, धारा-3/25 आयुध अधिनियम थाना जरिया
- 12) मु0अ0सं0-168/22, धारा-5/25 आयुध अधिनियम थाना

अपराधिक इतिहास सत्येन्द्र पुत्र संतोष राजपूत

- 1) मु0अ0सं0-40/18, धारा-201/396/412/120 बी भा0द0सं0 थाना जखौरा, ललितपुर
- 2) मु0अ0सं0-43/18, धारा-3/25 आर्म्स एक्ट थाना जखौरा, ललितपुर
- 3) मु0अ0सं0-168/18, धारा-2/3 गैंगेस्टर एक्ट थाना जखौरा, ललितपुर
- 4) मु0अ0सं0-23/19, धारा 13-जुआ अधिनियम थाना जरिया
- 5) मु0अ0सं0-06/20, धारा-380/411 आईपीसी थाना जलालपुर
- 6) मु0अ0सं0-95/20, धारा-2(b)(i)/3 गैंगेस्टर एक्ट थाना जलालपुर
- 7) मु0अ0सं0-322/22, धारा-307/323/504/506 भा0द0सं0 थाना जरिया
- 8) मु0अ0सं0-337/22, धारा-3/25 आयुध अधिनियम थाना जरिया
- 9) मु0सि0सि0न0-06/22, धारा-3 यू0पी0 गुण्डा एक्ट थाना जरिया
- 10) मु0अ0सं0-168/22, धारा-5/25 आयुध अधिनियम थाना जरिया

बरामदगी:-

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1) 07 तमंचा 315 बोर | 7) 01 तमंचा 315 बोर अर्धनिर्मित |
| 2) 01 रिवाल्वर .32 बोर | 8) 05 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 02 जिन्दा कारतूस |
| 3) 01 तमंचा 32 बोर | 12 बोर, 05 खोखा कारतूस 315 बोर व 06 खोखा |
| 4) 01 तमंचा 12 बोर , | कारतूस 12 बोर |
| 5) 01 इकनाली बंदूक 12 बोर | 9) भारी मात्रा में असलहा बनाने के उपकरण |
| 6) 01 तमंचा 32 बोर अर्धनिर्मित | |

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1) प्र0नि0 जरिया रामआसरे सरोज | 5) हे0का0 शिवेन्द्र सिंह |
| 2) उ0नि0 राहुल मिश्रा | 6) हे0का0 महताब खान |
| 3) उ0नि0 आशुतोष त्रिपाठी | 7) हे0का0 सन्दीप उपाध्याय |
| 4) हे0का0 सुनील कुमार | 8) का0 रोहित कुमार |

